न्यायालय अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा

[illegible] केस सं0– 172/16–17

संजय कु0 शर्मा बनाम् शे0 महमूद

–: आदेश :–

वर्तमान प्रकिया अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय से अंतरित होकर प्राप्त हुआ है। आवेदक संजय कु0 शर्मा, पे0–अवधेश प्र0 शर्मा, सा0–पहाड़पुर, थाना–मेहरमा, जिला–गोड्डा के आवेदन पर मौजा–पहाड़पुर नं0–85, 100, 103, जमाबंदी नं0–38, दाग नं0–85, कुल रकवा–01–03–08 धूर जमीन से विपक्षी शे0 मसूद, पे0–स्व0 शे0 सरफुद्दीन, सा0–पहाड़पुर, थाना–मेहरमा, जिला–गोड्डा को उच्छेद करने हेतु दायर किया गया है।

आवेदक के आवेदन में उल्लेख किया गया है कि मौजा–पहाड़पुर नं0–85, 100, 103, जमाबंदी नं0–38, दाग नं0–85, कुल रकवा–01–03–08 धूर जमीन गत सर्वे सेटलमेंट खतियान में जमाबंदी रैयत जुगल कमार वल्द जमाहीर कमार के नाम से दर्ज है। जमाबंदी रैयत जुगल कमार को संतान नहीं था। वे अपनी पत्नी कामो देवी को छोड़कर मरे। मो0 कामो देवी की सेवा आवेदक के परिवार से जुड़े महेश कमार किया करते थे। वृद्धावस्था में दवा–दारू, खान–पान का प्रबंध महेश कमार करते थे। महेश कमार की सेवा से प्रभावित होकर मो0 कामो देवी ने वर्ष 1965ई0 में एक आपसी व्यवस्था के तहत् चल व अचल सम्पत्ति का उत्तराधिकारी महेश कमार को बनाया गया। महेश कमार ने मो0 कामो देवी के मृत्यु के पूर्व एवं मृत्यु के बाद मुखाग्नि, श्राद्ध एवं तर्पण आदि क्रियाकर्म से मुक्त करने हेतु सभी वैदिक कार्य किया। महेश कमार मो0 कामो देवी को मृत्यु के पश्चात् विवादित भूमि पर दखलकार होकर जोत–आबाद करते आ रहे थे। महेश कमार की मृत्यु के पश्चात् इनका पुत्र अवधेश कमार उदरपूर्ति हेतु ग्राम–सादीपुर, थाना–पीरपैंती, जिला–भागलपुर चले गये। बीच–बीच में पहाड़पुर आते–जाते रहते थे। इसी बीच अवधेश कमार की अनुपस्थिति में इनसे संबंधित मौजा–पहाड़पुर, जमाबंदी नं0–38, दाग नं0–85, कुल रकवा–01–03–08 धूर जमीन को विपक्षी अपने कब्जे में करने का षड्यंत्र रच रहा है। विपक्षी को जमीन खाली कराने के लिए कहने पर उनके द्वारा धमकी दिया जाता है। अंत में विपक्षी को विवादित भूमि से उच्छेद करते हुए आवेदक को जमीन वापस दिलाने का अनुरोध किया गया है।

विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात होता है कि विपक्षी न्यायालय में विभिन्न तिथियों को उपस्थित होते रहे हैं, किन्तु उनके द्वारा अबतक कारण पृच्छा सहित कोई भी कागजात दाखिल नहीं किया गया है।

विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने तथा अभिलेख में संलग्न कागजात के अवलोकन से ज्ञात होता है कि विवादित भूमि के जमाबंदी रैयत का उभय पक्ष में कोई वारिसान नहीं है। उभय पक्ष बाहरी व्यक्ति हैं। दावा किया गया है कि संजय कु0 शर्मा द्वारा आवेदन अवधेश कमार को इकरारनामा कागजात लिख कर जमाबंदी रैयत के वारिसान द्वारा दिया गया है, परन्तु कागजात की प्रति न्यायालय में समर्पित नहीं किया गया है। इसी प्रकार विपक्षी को किस माध्यम से जमीन प्राप्त हुआ है, इस संबंध में उनके द्वारा न तो कारण पृच्छा दाखिल किया गया है और न ही कोई कागजात दाखिल किया गया है। इस संबंध में अंचल अधिकारी, मेहरमा का भी प्रतिवेदन अप्राप्त है।

विवादित मौजा–पहाड़पुर नं0–85, 100, 103, जमाबंदी नं0–38, दे
85, कुल रकवा–01–03–08 धूर जमीन, किस्म–घरबाड़ी कहकर दर्ज है। इस सं
अंचल अधिकारी, मेहरमा का भी प्रतिवेदन अप्राप्त है। अंचल अधिकारी, मेहरमा को निद
दिया जाता है कि वांछित प्रतिवेदन अविलंब उपलब्ध करायें।

आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, मेहरमा को भेजें।

लेखापाल एवं संशोधित।

21/10/24

अनुमंडल पदाधिकारी
महागामा।

21/10/24

अनुमंडल पदाधिकारी
महागामा।

Seen by

Digitally signed by ALOK WARAN KESHRI
Date: 2025.01.03 17:22:44 +05:30
Location: 192.168.1.51